

# न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी: डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या -89/2016 (आवन्तन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2016/00251

सरकार जयें तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

--प्रार्थी.

बनाम

श्रीमति जस्सू कंवर पत्नि मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी गोयन्दा  
तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

--अप्रार्थी.



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि  
प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम  
14(4) के अतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत

उपस्थित-

1 परोकार सरकार

निर्णय

दिनांक:- 13/08/2024

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थी श्रीमति जस्सू कंवर पत्नि मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी गोयन्दा को ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 1453 रकबा 0.65 हे0 भूमि दिनांक 2.12.2010 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया ।
2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी नहीं मिलने पर दो गवाहों के सामने नोटिस मकान पर चस्था किया गया । नोटिस चस्थादगी से तामिल हो चुके हैं । अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर परोकार सरकार की बहस सुनी ।
3. परोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी को ग्राम गोयन्दा तह0 रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 1453 रकबा 0.65 हे0 भूमि दिनांक 2.12.2010 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना में कब्जा काशत नहीं कर आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया है । अप्रार्थी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं किया जा रहा है । अतः प्रार्थी तहसीलदार का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे ।

जिला कलेक्टर  
कोटा

- 4 हमने परोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी को ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 1453 रकबा 0.65 हे0 भूमि दिनांक 2.12.2010 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी किन्तु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं करने से तथा आवंटन शर्तों का उल्लंघन करने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित होने से यह जाहिर होता है कि अप्रार्थी द्वारा उनको आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं किया जा रहा है । अतः प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते है ।
- 5 परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 1453 रकबा 0.65 हे0 भूमि आवंटी अप्रार्थी के कब्जे काशत में नहीं पाया जाने से तथा आवंटन शर्तों का उल्लंघन पाया जाने से अप्रार्थी के हक में किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन आदेश दिनांक 2.12.2010 निरस्त किया जाकर तहसीलदार रामगंजमण्डी को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करते हुए कब्जेराज लेवें ।
- 6 निर्णय आज दिनांक 13.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।



(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)  
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर  
कोटा